# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9981/2023

पिंकेश दाधीच पुत्र श्री नंद किशोर दाधीच, उम्र लगभग 33 वर्ष, घर ब्राह्मण, निवासी इंदिरा कॉलोनी, पुराना माटुंडा रोड, जिला बूंदी, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा निदेशालय, ब्लॉक IV, शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान अपने सचिव के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री कैलाश जांगिड़
प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हिमांशु श्रीमाली, एजीसी

**माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश**

**19/02/2024**

1.1. याचिकाकर्ता की शिकायत सभी परिणामी लाभों के साथ दिनांक 12.01.2015 के विज्ञापन (अनुलग्नक-11) के अनुसार सामान्य श्रेणी में व्याख्याता (संस्कृत) के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने में उत्तरदाताओं की ओर से निष्क्रियता से उत्पन्न हुई है।

2. पहले संक्षिप्त प्रासंगिक तथ्य:

2.1. 12 जनवरी 2015 को, प्रतिवादी नंबर 3 ने एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न विषयों में

व्याख्याता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आवश्यक योग्यता रखने वाले याचिकाकर्ता ने व्याख्याता (संस्कृत) के पद के लिए आवेदन किया और बाद में भर्ती प्रक्रिया में सफल घोषित किया गया, जिसके बाद साक्षात्कार के लिए निमंत्रण मिला।

2.2. 28 अगस्त, 2018 को, प्रतिवादी नंबर 3 ने कॉलेज व्याख्याता (संस्कृत) के पद के लिए संशोधित परिणाम की घोषणा की और कट-ऑफ अंकों के साथ एक चयन सूची जारी की।

जिसमें एक अन्य उम्मीदवार द्वारा रिट याचिका (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1796/2015) दायर करके शुरू की गई एक अन्य संपार्श्विक कार्यवाही में इस अदालत द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों के कारण सामान्य (पुरुष) श्रेणी में एक पद रिक्त रखा गया था।

2.4. याचिकाकर्ता का नाम आरक्षित सूची में दूसरे स्थान पर था, और पहले सूचीबद्ध उम्मीदवार को आरक्षित सूची के संचालन के माध्यम से नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया था कि एक उम्मीदवार द्वारा रिट याचिका दायर करने के कारण एक पद रिक्त रह गया था, जो न्यायालय के समक्ष लंबित था। अंतरिम आदेश जारी होने के बाद लंबित रिट पर कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। आरक्षित सूची के अनुसार याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से चयनित किया गया था।

2.5. इसके बाद, अन्य उम्मीदवार द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तुरंत प्रतिवादियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और अपनी नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध किया। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. उत्तरदाताओं का बचाव यह है कि नई अगली भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर, पिछले चयन और प्रतीक्षा सूची शून्य हो जाती हैं। मामले (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1796/2015) यानी शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार द्वारा पिछली याचिका का हवाला देते हुए, एक पद वास्तव में अस्थायी रूप से खाली रखा गया था, और याचिका खारिज होने के बाद, रिक्त पद पर याचिकाकर्ता का दावा अमान्य हो गया है क्योंकि नई भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए याचिका खारिज करना जरूरी है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकील के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है।

5. मौजूदा विवाद अनिवार्य रूप से एक प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है, यानी कि क्या किसी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम रोक के अवकाश पर प्रतीक्षा सूची में उसकी योग्यता स्थिति का लाभ दिया जा सकता है?

6. उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, बशर्ते कि

(i) मेरिट में ऊपर का उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची अवधि के दौरान शामिल नहीं हुआ, और

(ii) रिक्ति उसी श्रेणी के भीतर है जिसमें उम्मीदवार ने आवेदन किया था। आइए अब हम इसके बारे में अधिक विस्तार से जांच करें कि यह कैसे और क्यों है।

7. यह निर्विवाद है कि योग्यता सूची के अनुसार सामान्य वर्ग में एक सफल अभ्यर्थी ने अपना उपलब्ध पद ग्रहण नहीं किया।

8. चयन प्रक्रिया के दौरान, एक उम्मीदवार ने एक रिट याचिका (संख्या 1796/2015, अक्षय सुराणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) दायर की जिसमें कहा गया कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए दो पद आवंटित किए जाने चाहिए। क्या इस दावे को बरकरार रखा जाना चाहिए, उम्मीदवार ने कानून के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में अपनी नियुक्ति की मांग की थी। रिट कार्यवाही लंबित होने पर, 27.02.2023 के एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार का दावा स्वीकार किए जाने की स्थिति में समानता बनाए रखने के लिए सामान्य श्रेणी में एक पद नहीं भरा जाएगा।

9. उपरोक्त रिट याचिका अंततः खारिज कर दी गई, और परिणामस्वरूप, अंतरिम आदेश रद्द हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उस पद पर अपना दावा जताया जो सही मायने में उसका होता, अगर शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार द्वारा लंबित मुकदमा नहीं चलाया गया होता।

10. याचिकाकर्ता के दावे का विरोध राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 26.04.2018 (अनुलग्नक-आर/1) की अधिसूचना से उत्पन्न हुआ है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि अगली नई नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पिछली चयन प्रक्रिया की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी और उसे प्रभावी नहीं किया जा सकेगा।

11. याचिकाकर्ता का तर्क है कि पद के लिए चयनित होने के बावजूद उसे नियुक्त नहीं किया गया। नतीजतन, व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 2395/2022) दायर की, जिसमें व्याख्याता (संस्कृत) के रूप में नियुक्ति की मांग की गई। हालाँकि, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 15.02.2022 के एक आदेश/निर्णय के माध्यम से रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को गैर-नियुक्ति के कारण के बारे में जागरूकता, अर्थात् न्यायालय द्वारा दिए गए एक अंतरिम आदेश का हवाला दिया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने की स्वतंत्रता दी, यदि प्रश्न में पद पीएच उम्मीदवार को आवंटित नहीं किया गया है और सामान्य श्रेणी में आता है।

12. कोई अन्य सहारा न होने पर, याचिकाकर्ता को लंबित रिट याचिका संख्या 1796/2015 (अक्षय सुराणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में प्रतिवादी पक्ष के रूप में

शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर करने की सलाह दी गई थी। इसके बाद, पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, अदालत ने रिट याचिका को ही खारिज कर दिया और इसे योग्यता से रहित पाया।

13. उपरोक्त रिट याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता की उम्मीदें उसके द्वारा दायर पिछली रिट याचिका में दिए गए दिनांक 15.02.2022 के फैसले/आदेश के मद्देनजर उज्ज्वल हो गईं। उन्होंने तुरंत उत्तरदाताओं संख्या 2 और 3 के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें संस्कृत में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति का अनुरोध किया गया। हालाँकि, उनके प्रयासों का कोई जवाब नहीं मिला।

14. याचिकाकर्ता को उनकी योग्यता का लाभ देने के बजाय, उत्तरदाताओं का तर्क है कि, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 2020 में एक विज्ञापन के माध्यम से बाद की चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसलिए, उनके विद्वान वकील का तर्क है कि रिक्त पद याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है।

15. मुझे लगता है कि इस तर्क में कोई सार नहीं है और यह काफी नीरस है। यह स्पष्ट है कि, एक पीएच उम्मीदवार द्वारा दायर पिछली रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विचाराधीन पद अंतरिम संरक्षण के तहत रहा और इसके भरने को स्थगित रखा गया था। इस प्रकार बाद के विज्ञापन में भरी जाने वाली रिक्तियों में उपरोक्त पद को शामिल नहीं किया जा सका। यदि इसे शामिल भी कर लिया जाए, तो भी यह इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों का उल्लंघन होने के कारण अमान्य होगा। इसलिए, दिनांक 26.04.2018 की अधिसूचना वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

16. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील से न्यायालय के अनुरोध पर, यह पुष्टि की गई है कि उक्त पद आज तक खाली है। नतीजतन, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के उसकी उचित योग्यता से अन्यायपूर्ण ढंग से वंचित किया गया है। उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी योग्यता विभाग/भर्ती एजेंसी द्वारा निर्विरोध बनी हुई है।

17. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उसकी अन्य साख के सत्यापन पर नियुक्ति पत्र जारी करें।

18. याचिकाकर्ता को लागू सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ उसी तिथि से दिए जाएंगे, जब उसके समकक्षों को नियुक्त किया गया था। हालाँकि, "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर याचिकाकर्ता को कोई मौद्रिक लाभ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

19. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।